

एक तरफ प्रधानमंत्री और सरकार की प्रदर्शनकारी छात्रों से बात करने की कोशिश की सोच है

दूसरी ओर भाजपा के ही कुछ वरिष्ठ नेता, जिनमें यूपी की राज्यपाल आनंदी बेन भी शामिल हैं, आंदोलनरत छात्रों को गैरसंस्कारी बता रहे हैं, यहाँ तक कि बड़े भ्दे शब्दों में परिभाषित कर रहे हैं

-श्रीनंद झा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
 नई दिल्ली, 30 जुलाई। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल अब भाजपा और आरएसएस के उन नेताओं की सूची में शामिल हो गई हैं, जिन्होंने दिल्ली के जंतर-मंतर पर प्रदर्शन कर रहे जेन ज़ेड प्रदर्शनकारियों के आचरण और भाषा की कड़ी आलोचना की है। उन्होंने कहा कि प्रदर्शनकारियों का आचरण "भारतीय मूल्यों के अनुरूप नहीं था और इससे समाज को शर्मिंदगी उठानी पड़ी।"

इससे पहले केरल के हिंदुत्व विचारक टी. जी. मोहनदास और मंडी से भाजपा सांसद कंगना रनौत सहित, कई नेताओं ने भी छात्र प्रदर्शनकारियों की आलोचना की थी। उनका कहना था कि प्रदर्शन के दौरान अशोभनीय भाषा का इस्तेमाल किया गया, जिसका बड़ा हिस्सा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ था।

उत्तर प्रदेश की राज्यपाल ने आज कहा कि प्रर्शनकारियों द्वारा इस्तेमाल की गई भाषा ने "पूरे समाज का सिर शर्म

- यह दुविधा सोची समझी रणनीति है या विचारों में वाकई में मतभेद होने का संकेत है।
- अगर इस दुविधा का हल नहीं ढूंढा गया तो आंदोलन और उग्र हो सकता है और उसके परिणाम सभी के लिए दुखदायी हो सकते हैं।

से झुका दिया।" उन्होंने कहा, "जो कुछ भी कहा गया, वह हमारी संस्कृति और परंपराओं के अनुरूप नहीं था।" राज्यपाल ने कहा कि बेटियों को वेद, उपनिषद, भगवद्गीता और रामायण जैसे ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए, ताकि उनमें अच्छे संस्कार और नैतिक चरित्र का विकास हो।

विर्डबना यह है कि ये टिप्पणियां प्रदर्शनकारी छात्रों के साथ बातचीत और सामंजस्य बनाने की केन्द्र सरकार की नीति से अलग दिखाई देती हैं। यह अंतर साफ नजर आता है। एक ओर केन्द्र सरकार ने व्यवहारिक रुख अपनाते हुए, बातचीत, समझौते और अंततः आंदोलन की प्रमुख मांगों को स्वीकार करने की इच्छा दिखाई, जो संवाद और

की सीमाओं और युवाओं के असंतोष से निपटने के तरीके को लेकर कई सवाल आज भी अनुत्तरित हैं।

सबसे तीखा हमला केरल के हिंदुत्व विचारक और आरएसएस से जुड़े भाजपा के पूर्व बौद्धिक प्रकोष्ठ प्रमुख टी. जी. मोहनदास की ओर से आया। 26 जुलाई के आसपास जारी किए गए अपने यूट्यूब वीडियो में उन्होंने कहा कि यदि वे प्रभारी तथा अधिकृत होते तो जंतर-मंतर के चारों ओर चार वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में कर्फ्यू लगा देते, प्रदर्शनकारियों को हटने के लिए तीन बार चेतावनी देते और उसके बाद पुलिस को गोली चलाने का आदेश देते। उन्होंने कहा, "कुछ लोग मर सकते हैं, कुछ लोग हमेशा के लिए दिव्यांग हो सकते हैं (लेकिन) चार घंटे के भीतर स्थिति पूरी तरह शांत हो जाएगी।" उन्होंने यह भी दावा किया कि "वामपंथी, लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष और बहुजन" प्रदर्शनकारियों में शामिल महिलाएं "बलात्कार पसंद करती हैं" और (इसलिये) सामूहिक बलात्कार (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

तनाव कम करने की संस्थागत सोच को दर्शाता है। दूसरी ओर, भाजपा और आरएसएस से जुड़े कुछ नेताओं ने टकरावपूर्ण, नैतिक उपदेश देने वाला और कई बार हिंसा का समर्थन करने तथा हिंसा को जरूरी समझने वाला रुख अपनाया। उन्होंने युवा प्रदर्शनकारियों को सामाजिक रूप से पतित बताया तथा उनके खिलाफ घातक बल प्रयोग की बात कही। यह अंतर दिखाता है कि जहां सरकार आधिकारिक स्तर पर संतुलित राजनीतिक प्रबंधन की नीति अपना सकती है, वहीं उसके वैचारिक समूहों के कुछ लोग असहमति के खिलाफ सांस्कृतिक और ध्रुवीकरण वाली भाषा का इस्तेमाल करते रहते हैं। इस पूरे घटनाक्रम में, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता

मुंबई की एयर इंडिया बिल्डिंग बनी महाराष्ट्र का नया सीएम ऑफिस

23 मंजिला इस सी फेसिंग इमारत को गत माह 1601 करोड़ रुपए में महाराष्ट्र सरकार ने खरीदा है

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
 नई दिल्ली, 30 जुलाई। समुद्र के किनारे बनी 23 मंजिला मशहूर एयर इंडिया बिल्डिंग, जिसे पिछले महीने महाराष्ट्र सरकार ने 1601 करोड़ रुपये में खरीदा था, अब मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस का नया कार्यालय बनेगी। यह कार्यालय राज्य सचिवालय "मंत्रालय" से अलग जगह होगा।

महाराष्ट्र सरकार को मंत्रालय के पास दक्षिण मुंबई के प्रमुख इलाकों में ऑफिस की जगह की कमी का सामना

मध्य प्रदेश पुलिस के तत्कालीन एआईजी को दुष्कर्म के मामले में उग्र कैद

जयपुर, 30 जुलाई। पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत क्रम-2 ने आपराधिक मामले में महिला के पति की मदद के नाम पर उसके साथ कई बार दुष्कर्म करने वाले मध्यप्रदेश पुलिस के तत्कालीन एआईजी अनिल मिश्रा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही, पीड़िता की नाबालिग पुत्री से

- अदालत ने एआईजी अनिल मिश्रा को पीड़िता की नाबालिग पुत्री से अश्लीलता के मामले में 3 साल की सजा भी सुनाई।

अश्लीलता करने के मामले में भी मिश्रा को तीन साल की सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक संदीप वाजपेयी और पीड़ित पक्ष के वकील मुकेश पाठक ने अदालत को बताया कि पीड़िता ने 11 जुलाई, 2014 को महिला थाना दक्षिण में रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसमें कहा गया कि उसके पति के खिलाफ फरवरी, 2012 में एमपी के सिरोंहा में शिकायत दर्ज हुई थी। इस दौरान उसके पति ने उसे (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

करना पड़ रहा था। एयर इंडिया बिल्डिंग का निर्माण वर्ष 1974 में राज्य सरकार की रिकलेम की गई जमीन पर किया गया था। शुरुआती दिनों में इसकी लिफ्टों में सफर करने का अनुभव लोगों के लिए आकर्षण का केन्द्र हुआ करता था। एयर इंडिया के निजीकरण और टाटा समूह द्वारा उसके अधिग्रहण के बाद, इस इमारत सहित, उसकी सामान्य

(नॉन-कोर) संपत्तियां, एयर इंडिया एसेट्स होलिंग्स लिमिटेड (एआईएचएल) को सौंप दी गई थी। फडणवीस के कार्यालय के अलावा, मंत्रालय के बाहर काम कर रहे सभी सरकारी विभागों को भी इस इमारत में स्थानांतरित किया जाएगा। इससे सरकार को हर साल किराये के रूप में जाने वाले लगभग 200 करोड़ रुपये की बचत होने की उम्मीद है।

दीपके ने गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे की राहुल गांधी की मांग का समर्थन किया

दीपके ने भी राहुल गांधी की तर्ज पर आरोप लगाया कि 20 जुलाई को छात्रों के शांतिपूर्ण प्रदर्शन पर पुलिस की बर्बरता शाह के निर्देश पर ही हुई थी

- दीपके ने विदेशी फंडिंग के आरोप पर कहा कि शाह गृह मंत्री हैं और फिर भी हमें विदेशी फंड मिल रहा है तो यह उनकी असफलता है, कैसे चाणक्य हैं, उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए।
- दीपके ने आरोप लगाया कि भाजपा नेता उन्हें व उनके परिजनों को भाजपा में शामिल होने के लिए धमका रहे हैं और कह रहे हैं, अगर भाजपा जॉइन नहीं की तो परिणाम भुगतने को तैयार रहो।
- इधर राज्यसभा में नीट पेपर लीक बिल पर बहस में कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने शाह पर तीखा हमला किया और कहा, वो लोग गाँवों व अन्य राज्यों से आए बच्चों पर पैलेट गन चला रहे हैं, किसी की आँखे चली गई, किसी का कान और किसी का हाथ, इसके जिम्मेदार गृह मंत्री हैं।
- खड़गे ने कहा, आप (शाह) बंद कमरे में बैठे सुन रहे हैं, पर, आप हमेशा बंद कमरे में छिपे नहीं रहेंगे, एक दिन हम आपको खींच कर बाहर निकालेंगे।

राज्यसभा में विपक्ष के नेता बच्चों पर पैलेट गन चला रहे हैं, जो गाँवों और दूसरे राज्यों से आए हैं। किसी

दिल्ली सरकार जंतर मंतर पर पैलेट गन से घायलों का इलाज कराये

नई दिल्ली, 30 जुलाई। उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली सरकार को निर्देश दिया है कि वह जंतर-मंतर के विरोध प्रदर्शन के दौरान पैलेट गन से घायल हुए प्रदर्शनकारियों का इलाज कराए। कोर्ट ने प्रदर्शन के दौरान रैपिड एक्शन फोर्स (आरएएफ) के असलहों के मूवमेंट को संरक्षित रखने का आदेश दिया। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि किसी

- सुप्रीम कोर्ट ने रैपिड एक्शन फोर्स के असलहों के मूवमेंट को संरक्षित रखने का भी आदेश दिया।

विशेष घटना में पैलेट गन के इस्तेमाल की वैधता की जांच की जा सकती है।

उच्चतम न्यायालय ने यह आदेश आईबी के पूर्व निदेशक और पूर्व मुख्य सूचना आयुक्त यशोवर्धन आजाद और दो अन्य पीड़ितों की याचिका पर दिया है। याचिका में पैलेट गन के इस्तेमाल पर प्रतिबंध के साथ ही पीड़ितों को मुआवजा देने की भी मांग की गई है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि 20 जुलाई को संसद मार्च के दौरान कर्नाट प्लेस के पास भारी भीड़ पर नियंत्रण पाने के लिए तैनात आरएएफ ने पहले आंसू गैस और लाठीचार्ज किया। उसके बाद पैलेट से लैस पंप एक्शन गन का इस्तेमाल किया गया।

याचिका में कहा गया है कि बल प्रयोग करने से पहले कोई चेतावनी नहीं दी गई और कई प्रदर्शनकारियों की (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

बिना निर्वाचित हुए छः माह से अधिक समय तक मंत्री बने रहने पर सुप्रीम कोर्ट सख्त

सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए बिहार सरकार को नोटिस भेज कर जवाब मांगा है

- यह मामला पंचायती राज् मंत्री दीपक प्रकाश का है, वे ना तो विधानसभा के सदस्य हैं, ना ही विधान परिषद के, इसलिए उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दर्ज हुई है।

- दीपक प्रकाश पूर्व केन्द्रीय मंत्री उपेन्द्र कुशवाहा के पुत्र हैं, जिनकी पार्टी आरएलएम एनडीए की घटक है।

- दीपक प्रकाश के खिलाफ सोशल एक्टिविस्ट राकेश कुमार सिंह ने याचिका दायर की है, जिसमें दीपक प्रकाश को बिहार की नई सरकार में मंत्री बनाए जाने को चुनौती दी गई है।

- इससे पहले उन्हें 20 नवम्बर 2025 को बिहार सरकार में मंत्री बनाया गया था, वे तब निर्वाचित नहीं थे।

भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) सूर्यकांत के समक्ष मामले का उल्लेख करते हुए याचिकाकर्ता के

खड़गे ने कहा, "आप (शाह) शायद बंद कमरे के पीछे बैठकर मेरी बात सुन रहे होंगे, लेकिन हमेशा बंद कमरे में छिपे नहीं रह सकते। एक दिन हम आपको बाहर खींचकर लाएंगे।" (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

गया। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? गृह मंत्री इसके लिए जिम्मेदार हैं।"

ओमान की वह संयुक्त पहल थी, जिसके तहत होर्मुज़ स्ट्रेट में ओमान के तट से सटे और ईरान द्वारा नियंत्रित आधिकारिक मार्ग के दक्षिण में एक वैकल्पिक समुद्री मार्ग खोलने की कोशिश की जा रही थी। यदि यह

तात्कालिक कारण अमेरिकी और

के सबसे बड़े रणनीतिक हथियार, होर्मुज़ स्ट्रेट पर उसका नियंत्रण व्यावहारिक रूप से समाप्त हो जाता। दरअसल, ईरान के उप-विदेश मंत्री ने हाल ही में दिए गए एक साक्षात्कार में इस चिंता को स्पष्ट रूप से (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

- अमेरिकी हमलों के जवाब में ईरान ने मध्यपूर्व में अमेरिका के सैन्य अड्डों व सैन्य बलों पर अचानक भारी हमले किए, हमले के लिए उसने वही दिन चुना, जिस दिन लंबे अरसे बाद वाइट हाउस में ट्रंप व इज़रायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू की मीटिंग हुई थी।

- अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों के अनुसार, ईरान की व्यप्रता का कारण ओमान के तट से होकर होर्मुज़ का वैकल्पिक रास्ता खोलना है, क्योंकि अगर होर्मुज़ का विकल्प सफल हो गया तो ईरान से उसका "ट्रंप कार्ड" छिन जाएगा।

- होर्मुज़ पर नियंत्रण ईरान के लिए प्रतिष्ठा का विषय बन गया है और उसे इसमें स्थायी आय स्रोत भी दिख रहा है। ईरान किसी भी कीमत पर होर्मुज़ को नहीं छोड़ेगा, साथ ही वह नहीं चाहता कि इसका विकल्प बने। हालांकि, सारा विश्व चाहता है कि होर्मुज़ को ईरान की पकड़ से बाहर निकाला जाए।

राजस्थान विधानसभा का सत्र 20 अगस्त से

जयपुर, 30 जुलाई। राजस्थान की सोलहवीं विधानसभा का छठा सत्र आगामी 20 अगस्त से शुरू होगा। इस संबंध में राजस्थान विधानसभा सचिवालय ने गुरुवार को राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशित की है। अधिसूचना के अनुसार, राज्यपाल

- राज्यपाल हरिभाऊ बागडे ने अधिसूचना जारी की।

हरिभाऊ बागडे ने संविधान के अनुच्छेद 174(1) के तहत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए विधानसभा का छठा सत्र 20 अगस्त को प्रातः 11 बजे राजस्थान विधानसभा भवन, ज्योति नगर, जयपुर में आहूत किया है। विधानसभा के इस सत्र में सरकार विभिन्न महत्वपूर्ण विधेयकों एवं अन्य सरकारी कार्यों को सदन में प्रस्तुत कर सकती है। इसके साथ ही, विपक्ष भी प्रदेश से जुड़े विभिन्न मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की तैयारी में जुटेगा। (शेष अंतिम पृष्ठ पर)